UTTARAKHAND

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग
श्रीनगर मु0– कीर्तिनगर

Phone no./Fax no. 01370-260070 E.mail- eepwdkirtinagar@rediffmail.com

पत्रांक 152 /33 सी दिनांक 07 /02 /2022

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनिकीरेती।

विषय – जनपद टिहरी गढ़वाल में मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 70/2017 के अन्तर्गत विकास खण्ड़ कीर्तिनगर के ग्राम धारी से बाग्यो तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.991 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में (प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/49541/2020)

सन्दर्भ – आपका पत्रांक 1772/12–1 दिनांक 30.11.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयक वर्णित मार्ग की सैद्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून का पत्रांक 8वी0/यू0सी0पी0/06/177/2020/एफ0सी0/2140 दिनांक 20.01.2021 द्वारा प्राप्त है। भारत सरकार के पत्र में वर्णित सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की अनुपालन आख्या चार–चार प्रतियों में प्रेषित की जा रही है।

शर्त सं0 1 :– के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि की विधिक परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं किया जायेगा (प्रमाण पत्र संलग्न)।

शर्त सं0 2 :– के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना के लिये आवश्यक गैर वन भूमि वन विभाग को सौंपे जाने के पश्चात ही वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपी जायेगी (प्रमाण पत्र संलग्न)।

शर्त सं0 3(क) :– के अनुपालन में 1982 पौधो के रोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु रू0 735128.00 की धनराशि एवं एन0पी0वी0 की धनराशि रू0 837395.00 को संयुक्त चालान (रू0 1572523.00) द्वारा यूनियन बैंक ऑफ इण्ड़िया के फाइल नं0 MoEF/SG File no 8B/ UCP/06/78/2021/FC के द्वारा दिनांक 12.01.2022 को जमा कर दिया गया है। (चालान की प्रति संलग्न है।) जहां तक व्यवहारिक स्थानीय प्रजातियों को लगाया जायेगा एवं प्रजातियों की एक प्लाटेंशन से बचा जायेगा।

शर्त सं0 3(ख) :– के अनुपालन में अवगत कराना है कि हस्तान्तिरित की जाने वाली कुल वन भूमि का क्षेत्र फल 1 हे0 से कम है जिस कारण क्षतिपूरक वृक्षारोपण का कार्य नही कराया जाना है। (प्रमाण पत्र संलग्न)।

शर्त सं0 4 :– के अनुपालन में अवगत कराना है कि हस्तान्तिरित की जाने वाली कुल वन भूमि का क्षेत्र फल 1 हे0 से कम है जिस कारण क्षतिपूरक वृक्षारोपण का कार्य नही कराया जाना है। (प्रमाण पत्र संलग्न)।

शर्त सं0 5(ख) :– के अनुपालन में यदि एन0पी0बी0 की दरों में कोई बढ़ोतरी की जाती है तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान किया जायेगा (प्रमाण पत्र संलग्न)।

शर्त सं0 6 :– के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जायेगा। प्रस्ताव के अनुसार 81 वृक्ष एवं 34 Saplings से अधिक नहीं होगी। (प्रमाण पत्र संलग्न)।

शर्त सं0 7 के अनुपालन में प्रमाणित किया जाता है कि मलबा निस्तारण हेतु चयनित स्थल में कोई वृक्ष विद्यमान नही है। (प्रमाण पत्र संलग्न)।

शर्त सं0 8 :– के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं अन्य धनराशि क्षतिपूरक वृक्षारोपण वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फंड़ में हस्तान्तरित/जमा की जाने वाली धनराशि केवल ई–पोर्टल के माध्यम से जमा की गई है (चालान की प्रति संलग्न)।

शर्त सं0 9 :– के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा गाईड़ लाईन में दिये गये दिशा निर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार विधिवत स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति आपको उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से 1 वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लिखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जायेगी। (प्रमाण पत्र संलग्न)।

— पृष्ठ सं0 2 पर —

शर्त सं0 10 के अनुपालन में एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से किया जायेगा (एफ0आर0ए0 प्रारूप संलग्न)।

शर्त सं0 11 :— के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा आई0आर0सी0 मानदण्डों के अनुसार पर सड़क के दोनो किनारों एवं उसके बीचों–बीच पौधों की संख्या बढ़ायेगा (प्रमाण पत्र संलग्न)।

शर्त सं0 12 :— के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गतिविनियमन साईनेज लगाये जायेगें (प्रमाण पत्र संलग्न)।

शर्त सं0 13 :— के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्राविधानों के अनुसार यदि आवश्यक हो तो पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।

शर्त सं0 14 :— के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केन्द्र सरकार की बिना पूर्वानुमति के ले–आउट प्लान नहीं बदला जायेगा (प्रमाण पत्र संलग्न)।

शर्त सं0 15 :— के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा (प्रमाण पत्र संलग्न)।

शर्त सं0 16 :— के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान कार्य स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टाफ के लिये रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे कि निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुंचे (प्रमाण पत्र संलग्न)।

शर्त सं0 17 :— के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रत्यावर्तित वनभूमि का सीमांकन का प्राक्लन राजि अधिकारी माणिक नाथ रेंज डांगचौरा से तैयार करवा कर प्रेषित किया जा रहा है स्वीकृति उपरान्त प्राक्लनानुसार धनराशि वनविभाग के पक्ष में हस्तान्तरित कर दी जायेगी। (प्रमाण पत्र संलग्न)।

शर्त सं0 18 :— के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना कार्य के निष्पादन के लिये निर्माण सामग्री के परिवहन के लिये वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।

शर्त सं0 19 :— के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा (प्रमाण पत्र संलग्न)।

शर्त सं0 20 :— के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेन्सियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी (प्रमाण पत्र संलग्न)।

शर्त सं0 21 :— के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपरोक्त समस्त शर्तो का अनुपालन किया जायेगा।

शर्त सं0 22 :— के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्य जीवों के संरक्षरण एवं विकास के हित में समय–समय पर अन्य शर्ते लागू की जाती है उसका पालन किया जायेगा (प्रमाण पत्र संलग्न)।

शर्त सं0 23 :— के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना निर्माण के दौरान पुर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण किया जायेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरें। वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जायेगा, मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जायेगी। निस्तारण स्थलों को वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा तथा मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई नहीं की जायेगी (प्रमाण पत्र संलग्न)।

शर्त सं0 24 :— के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यदि इस प्रस्ताव पर कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि लागू होते है तो उनकी जरूरी अनुमति ली जायेगी (प्रमाण पत्र संलग्न)।

शर्त सं0 25 :— के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल पर भी अपलोड़ कर दी गयी है।

संलग्न — उपरोक्तानुसार पांच–पांच प्रतियों में।

07/02/022

(इं0 डी0पी0 आर्य)
अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0,लोक निर्माण विभाग
श्रीनगर मु0— कीर्तिनगर

पत्रांक 152/33 सी दिनांक 07/02/2022

प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता (द्वितीय) अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर मु0–कीर्तिनगर को इस आशय से प्रेषित कि नामान्तरण/हस्तान्तरण आख्या प्राप्त करने हेतु सम्बन्धित विभाग से व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि राजि अधिकारी कार्तिनगर राजि डांगचौरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

07/02/022

अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0,लोक निर्माण विभाग
श्रीनगर मु0— कीर्तिनगर